nt>

**14.33 hrs.**

**Title:** Discussion on the Narcotic Drugs And Psychotropic Substances (Amendment) Bill. 2001 (Bill passed.)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Mr. Chairman, Sir, our experience of about a decade and half in implementing the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 has brought to the fore certain deficiencies in the Act which hamper our action against drug-traffickers. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2000 seeks to strengthen the Act by way of removing deficiencies noticed so far.

Most of the obligations arising out of the UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 were taken care of by an amendment made to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 in the year 1989. Some of the further obligations arising under the said convention, which could not be included in the amendment to the Act made in the year 1989, are covered by the present amendments.

The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act prescribes for most of the offences a uniform sentence of minimum 10 years and imprisonment which may extend up to 20 years. There has been a criticism against the Act that the punishments prescribed under the Act are harsh and disproportionate, at times, to the gravity of offences involved. Recognising the need to rationalise the sentence structure, it is proposed to introduce the principle of graded punishment on the basis of the quantity of drugs involved in the offence. This would require, as in the laws of some other countries like Australia, categorising quantity of drugs into three grades − small quantity, commercial quantity and quantity between small quantity and commercial quantity − for the purpose of imposing sentence.

The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill was first introduced in Rajya Sabha on 9th July, 1998, and it was referred to the Standing Committee on Finance on 22nd July, 1998. The Committee, after holding oral evidence of Government, Ministries, Departments, and officers, submitted its report to Rajya Sabha on 30th November, 1998, and to Lok Sabha on 2nd December, 1998. While agreeing to most of the proposed clauses in the Bill, the Committee made certain recommendations. On examination of the recommendations made by the Committee in consultation with the Ministry of Law and Ministry of External Affairs, major amendments suggested by the Committee in the original Bill have been accepted by the Ministry. The Bill was discussed in the Rajya Sabha on 27th November, 2000 and the same has been passed with the proposed amendments by that House.

I commend this Bill for the consideration of the House.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Hon. Members, the time allotted for the discussion of this Bill is two hours. Now, I give the floor to Shri Priya Ranjan Dasmunsi.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Chairman, Sir, while supporting this Bill, I would like to express further apprehensions that we have on many provisions. It was in the Eighth Lok Sabha when the then Prime Minister late Shri Rajiv Gandhi came up with this concept; considering the fate of our future generation and our country as a whole, he felt that such a piece of legislation was required. During the discussion on the Bill, a very substantial contribution was made by Shri Amitabh Bachchan, who, through very specific instances, talked about how the society was going to face a grievous state of abuse of narcotic drugs and psychotropic substances.

Sir, the entire politics and economics of South America are now under a threat because of gross abuse of these narcotic drugs. In the World Cup in Italy, while the Colombian Team went to take part, it was known then -- I was there at that time -- that the Colombians were under the threat and pressure of the 'Drug Lobby' to score or not to score the goals; such was the pressure outside. I had witnessed their match where the defender of the Colombian side made a goal; his name was Escobar. The 'Drug Lobby' lost a lot of money because of this. When he was having coffee in the restaurant, the 'Lobby Mafia' entered and shot him, and he died. This is what is happening in

South America, and in the entire Latin America. Unfortunately, the entire Asia is now under this threat.

India, the land that never witnessed any kind of such a thing one-and-a-half decades before, is now equally under this threat. I feel pain and sorrow when I humbly inform the House about one State, which is represented by our distinguished Minister, Shri Chaoba Singh, that is, Manipur. In the country, Manipur is now producing the bright talents, both boys and girls, in the field of sports. In that State, the rate of abuse has gone up during the last ten years, from 15 per cent to 58 per cent. The illegal use of drugs has gone up from 15 per cent to 58 per cent, and it is not a joke. The admission rate in the recovery centres was 20 to 25 young boys and girls one-and-a-half decades before, and now it is more than 150.

Sir, this is what is happening today. I would like to give some more figures here. If I am wrong, then the hon. Finance Minister may correct me.

Sir, in the city of Mumbai, the extent of detected cases of drug abuse was around 12 per cent seven years ago. Now, the identified cases of drug abuse in that city have gone up to 32 per cent. In the city of Calcutta it was only two per cent and now it has gone up to 18 per cent. I used to see hardly two patients a few years back but now I see about 18 patients of drug abuse in the recovery centres. The city of Delhi is also under a sever threat from drug abuse. The management of the universities, colleges and schools are holding parents' meeting from time to time and are cautioning them about the menace of drug abuse and advising them to take care of their children. This is a serious matter. The rate of abuse in Delhi is more than 30 per cent today. It was only five per cent in the year 1988. Similar is the case in Chennai. I should say that amongst the four metropolitan cities, the percentage of drug abuse is least in the city of Chennai. I would like to thank the people of Tamil Nadu and also the Government of Tamil Nadu for having either an effective administrative measures or for having moral and social persuasion to encourage people to desist from drug abuse. The city of Mumbai is heading the list in this regard. I am not referring to the smaller towns or other metropolitan towns like Ahmedabad and Bangalore.

Sir, now for reasons of revenue and customs, this entire matter is under the administrative charge of the Ministry of Finance. But I do feel that a very strong Coordination Cell is essentially required to be constituted with the representatives from the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance to combat the situation. This I say in spite of the fact that this statute has been wisely amended and passed by the Rajya Sabha after having taken into account the observations made by the Standing Committee.

Sir, if you go through the legislation, I have gone through it very carefully, you would find that it is not merely an amending piece of legislation but it is a comprehensive one. I would now like to point out a few areas that are proposed to be amended and bring this to the attention of the hon. Minister.

Sir, the first amendment has been proposed in regard to Section I. In section I, it has been stated that it would apply `to all persons on ships and aircraft registered in India'. Now, for example, if an NRI is having a ship or an aircraft registered in Columbia or in U.K, then this law would not apply to him. The drug lobby is very powerful.

DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): This would not apply to NRIs in any case.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I think, the hon. Finance Minister would reply to this.

DR. NITISH SENGUPTA : This is governed by the law of the country to which he belongs.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I feel, Dr. Sengupta has still not been able to come out of the hang over of having been the Revenue Secretary!...(*Interruptions*) Please listen to me.

I am not talking against any individual or any party. The NRIs are all good people. I am not questioning their integrity and credentials. But money drives people crazy. Such a clause could give an impression to an NRI that the law of India would not prosecute him if he tries to make money by some contravention through a ship or aircraft that is registered in another country. NRIs may have a feeling that the law would not prosecute them. But I believe that the law can prosecute them. The police can go anywhere. The police can go to any ship or aircraft and find out whether they have brought any such thing or not. But I am talking of the enabling provision. This might open up the door in future.

Mr. Chairman, gathering of intelligence and information is the most vital thing in curbing this menace. I am not abusing any nation, I respect a nation's sovereignty, its people and its Government, but I would say that Thailand, Myanmar, Nepal, Pakistan, and Bangaldesh have become safe zones for this trade. I feel sorry to say that even the very beautiful friendly country Bhutan is falling victim to this menace. Indian security forces, with the help of intelligence received from Indian intelligence agencies do apprehend ISI agents involved in border transit from time to time. Financial support for the entire operations of ISI does not come from the taxpayers' money in Pakistan. We

would be making a mistake if we think it to be so. A substantial part of their finances are coming from Afghanistan's Taliban regime. Those who proclaim their faith in the religion of Islam are doing all kinds of clandestine activities. There is a zone between Afghanistan and Pakistan which is called a free zone. No law exists there except the law of the the drug mafia of Afghanistan. They are pumping in huge sums of money to destroy the freedom and integrity of this country.

I have my respect for the patriotic jawans of our armed and paramilitary forces. However, maybe there are a few black sheep in them who in lieu of huge sums of money sometimes spare certain people. During seizures, they may be leaving out certain issues. If only they investigate further to find out as to where bundles of Indian as well as foreign currency notes come from, they would find that they come from the drug lobby. I suggest that an integrated intelligence cell either in the Finance Ministry or in the Home Ministry or in any other intelligence agency should be set up to understand the chain of operation of drug trafficking and to nip it in the bud.

I do not know as to who the harsh critics of the punishments are. I think harsh punishments clause should not have been amended at all. These are not tax proposals wherein the Minister announces reduction of slabs of excise duty from three to one, etc. It is vitally linked with the future of our nation. Creation of three categories - smaller quantity, commercial quantity and any quantity in between − sends a dubious message to the drug mafia. The Bill says that peddling smaller quantities will attract six months' imprisonment and a fine of Rs.10,000. Peddling commercial quantities would lead to imprisonment and a fine of Rs.1 lakh which could be extended to Rs.2 lakh.

What difference will this make to the drug mafia? Drug lords would spread 20 of their agents with commercial quantity drugs knowing full well that if a few of them are apprehended, the officials can be bribed − I do not doubt the integrity of our officers − and cases can be avoided in the first place. If one has to pay Rs.1 lakh and go on a ten-year prison term, one would as well be ready to pay a bribe of Rs.10 lakh in the first place and get the case struck. I do not say that all our officers do that but there is an allurement for them in this. I personally strongly feel that the time has come when drug peddlers dealing in commercial quantities of drugs in this country should be sentenced to death. India is a vast, democratic, multi-ethnic, multilingual and multicultural country. Given the way the drug lobby is penetrating into the country, we would not be able to deal with it successfully in future if we do not take such harsh steps now.

How many amendments have been brought about by the Government because of the deficiencies? I tell him that he will get more deficiencies.

Sir, the Central Government's proposal is a very useful proposal, there is no doubt at all. It is a very constructive proposal. I thank the hon. Minister for having brought about this amendment.

Now, the point is how to monitor. I am not talking about Amendments A, B or C. I am talking about Amendment E, that is, educating the public against the drug abuse. They should utilize this fund properly. They should not distribute it to a society or a group or an NGO. They should choose universities, selected schools of India and give the fund at their disposal. A comprehensive programme is required to be there that once a week or once a month, the students of the universities, colleges or maybe even big sports club, will get a proper lesson, audio visual about what the destruction in using the drugs are.

Sir, I want to give an example of two football players. I do not like to take their names because otherwise their families will be upset. They would have become the heroes of the country because at the age of just 17, their striking ability and defending ability were very high. But the sad part is that they started taking drugs. With the result, within nine months, they were not able to take sprinters of even 200 metres. They are from the North-East.

Similarly, Sir, I know of a player -- and I can tell his name here because he is not an Indian citizen -- who also fell a victim of drugs. He was the finest player of football for over 15 years. His name is Abdul Mazid Bashkar. He had visited Calcutta. What a fine player he was. But he started taking drugs. I feel pity for him because now, he is moving in Iran like a beggar limping in his hands.

Sir, about drugs, it is first attracting the cultural, social, potential, unemployed youth, the players and the teenagers of the colleges and schools. It is destroying them. It is available in abundance with the so-called *jhaalmoodi* which, Shri Yashwant Sinha may know. It is so-called *chats* which are waiting outside the schools from the *chatwalas*. It was detected that they mix something in the *chaats* and the children go to the particular *chaatwalas* to purchase it.

Sir, I have seen in front of South Point School in Calcutta as to how a mothers started crying saying how to take the child back home.

This is the kind of racket being run throughout the country, and behind it a big drug lobby is working.

Sir, they have said that any property or asset, which is built out of the drug money, will be taken over by them. It is fair enough. It is a good thing. But what about a man who has the property not out of the drug money, but who is

encouraging the drug lobby to generate additional wealth? He is called as abettor. My point is that there should have been a provision that the property built by drug money should be confiscated and also the abettor of the whole arrangement − he may not have built the property out of the drug money -- should also be taken into task in the similar fashion. Then, the law would have been comprehensive with strong teeth to combat and to fight the battle.

Sir, I do not like to give other names. Many names are being heard. For example, the Mumbai Film Lobby. Some says, it is *Dawood Ibrahim* whose money is being invested in the film industry. Some says, it is *Chhota Shakeel* whose money is being invested in the film industry. Now, a producer, who has a palatial house may not touch the drug money but he is now pouring the drug money in the industry and people are caught. Take for example, the case of a film star, who, having made four hit films, earned a lot of money equally against the drug money, builds a bungalow in Juhu.

Will you confiscate the property of the film star or the producer who establishes link with the drug money lobby to do that film? It is a very interesting question. It is a fact. This is how things are operating in the country. Therefore, I sincerely feel that a re-look is necessary on the provision regarding confiscation of property.

The Bill has another provision of imprisonment up to six months. It is really a joke, at least to me. A pickpocket in Delhi sometimes gets six months' imprisonment. Even a simple violation of law attracts six months imprisonment. If a person demolishes a house or destroys a house or puts fire to a property gets imprisonment of six months. If a person brings days in and out small quantity of drug to poison our children, he also gets only six months' imprisonment. With whatever wisdom the Finance Minister and other leaders did this, this categorisation is not fair. I think, the Finance Minister still would like to have a look at the matter for future. He should take a total look; he should examine what is the growth of drug victims, what is the growth of seizure of drug, what is the growth in regard to apprehending the real culprits, etc., Taking all these things into consideration, he may have to take a decision. He has to take into consideration the fact that three-fourths is not still detected or non-apprehended, and he could find as to how strong the law should be and what should be the mechanism that he should bring forward to adopt.

Now I will come to the part of Delhi. Selectively I am taking the place of Chandni Chowk. I am not talking as a man of intelligence. But I take a lot of interest in this matter and whenever any article − whatever may be the language, I get it translated - on drug appears, I read it. It is because I have seen the sad state of affairs.

In Kolkata, a boy who stood first in secondary examination six years back is no more studying and he is a victim of drug now. He is roaming in the compound nearby. So, I feel that it is not a party issue, but it is an issue of the country where a comprehensive legislation with more specific chapters and features is required. I think that the Finance Minister will take it up at the appropriate time.

Regarding poppy cultivation and poppy culture who will deal with the matter? Should the State police do it? Unless the Narcotic authority and the State police do it together, it is difficult to handle the situation. I know that till today poppy cultivation is there without the knowledge of the Government and without the notice of the police. It is there substantially in the North-East and partly in the Eastern India. By paying little money to the local policemen, they get rid of it. Before they do the real raid, they take them out. He can take the records and see. If he has the information, then he could inform the House accordingly.

How many unlicensed operation of poppy cultivators is there in the North-East and in the East? I am told that it is also there in Uttar Pradesh, border of Nepal and also in Himachal Pradesh. How many have been apprehended? None. Therefore, the provisions in the Bill are okay. I have gone through them. But the implementation process or the machinery is not enough. Our police are busy with various other activities; they have to deal with the local laws of the land, regarding normal crimes or in dealing with normal criminals, apprehending them, etc.

So, the narcotic umbrella should have a professional, sophisticated, dedicated and a patriotic group of staff who has a vision for the country and a dream for the country. It is not ordinarily the job of a customs or police officer; it is not an ordinary job of, say, a collector, etc., it is something more than that which I cannot explain here.

**15.00 hrs.**

It is the job of dedicated and professional group of people who are the custodians of future generation, our own family and our own children. I would request the hon. Minister who himself comes from the field of sports, and whose concern for the youth I know and appreciate, to widely think about it further. Why do they not consult some sociologists and social thinkers and some other experts? Take their views. After passing the Bill, send them the copy of the Act for additional suggestions. If there are any deficiencies, you can again come to the House and rectify them.

With these words, I support this piece of legislation.

**डॉ.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) :** सभापति महोदय, प्रस्तुत विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है। 1985 में यह अधिनियम बना था और उसमें कुछ संशोधन बीच में हुए थे, लेकिन वे संशोधन पर्याप्त नहीं थे और इसलिए कुछ अन्य संशोधनों के साथ इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है।

यद्यपि इस विधेयक में पूर्व में जो विसंगतियां थीं, उन्हें ठीक किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं, जिन्हें स्पट किया जाना आवश्यक है। मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार के विधेयक की या इस प्रकार के अधिनियम की आवश्यकता इसलिए है कि जिस प्रकार से स्वापक औाधियों का, द्रव्यों का जो प्रचलन हो रहा है और देश की युवा पीढ़ी पर उसका जिस प्रकार से असर हो रहा है, उस दृटि से हमें निश्चित रूप से कुछ आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। आवश्यक कदम उठाये भी जा रहे हैं। जिस प्रकार से इन वस्तुओं की तस्करी हो रही है, न केवल अपने देश में, बल्कि बाहर से जो तस्करी से यहां पर सामान आ रहा है, उसके कारण से भी युवा पीढ़ी को काफी पीड़ा और तकलीफ है और वे एक तरह से रास्ते से भटक रहे हैं। चाहे म्यांमार से सही, चाइना से सही, इंडोनेशिया से सही, नेपाल के रास्ते जो तस्करी होकर यहां पर माल आता है, आंतकवादियों और नशीले पदार्थों के तस्करों में सांठ-गांठ भी है, उससे ज्यादा खराबी हो रही है। यह बात ठीक है कि इस पर किसी न किसी प्रकार से नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि इसके अन्दर हैरोइन को भी लिया गया है, मारफीन भी इसके अन्दर है, गांजा भी इसके अन्दर है स्मैक और अन्यान्य पदार्थ भी इसके अन्दर हैं, लेकिन मुख्यतः इसका पदार्थ अफीम है, ओपियम है।

मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान एक छोटी सी बात की तरफ आकर्ति करना चाहूंगा। मैं ऐसा मानता हूं कि उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने पहले भी स्पटीकरण दिया है, जब दूसरे सदन में इसके बारे में चर्चा हो रही थी, वह पॉपी स्ट्रा के बारे में है। इसमें जो शब्द हैं, पोस्त तृण से उस समय उत्पन्न पदार्थ जब पोस्त तृण का, उसके संदरण का प्रसंस्करण आरम्भ कर दिया गया हो और दूसरे पोस्त तृण पर फसल कटाई के पश्चात अफीम पोस्त बीजों के सिवा सभी भाग, चाहे वे मूल रूप में कटे हुए, संदलित या चूर्णित हों, चाहे उनमें रस निकाला गया हो, निकाला जाना हो, `All parts except the seeds.' एक्ससेप्ट सीड्स में तो पत्ते भी आ गये, उसकी डालियां भी आ गईं, उसकी जड़ें भी आ गईं, बाकी में अगर आप जड़ भी ले लेंगे, डंठल भी ले लेंगे, पत्ते भी ले लेंगे, उन सब को अगर पोस्त की परिभाा में लेंगे, क्योंकि इसमें एक्ससेप्ट सीड्स लिखा है, बीजों को छोड़कर लिखा है तो मैं समझता हूं कि किसान बेचारा कहां जायेगा। अफीम लेने के बाद उस अफीम का जो स्ट्रा रहता है, जिसे डोडा बोलते हैं, वह तो एक्साइज के अन्तर्गत है ही, उसका सवाल नहीं है, लेकिन बाद में जो डाली वगैरह होती है, डंठल लगे रहते हैं, उससे वे कई बार अपनी बाडे में छोटी दीवारी बनाते हैं, छत पर ढक लेते हैं या अन्य काम में भी उसको लेते हैं। उसकी पत्तियां उसके घर में रहती हैं। अगर जुलाई के बाद वह रहती हैं तो वह दोाी माना जायेगा और उस किसान को बिना किसी कारण के हानि उठानी पड़ेगी। जैसा मैंने निवेदन किया, इस बारे में दूसरे सदन में चर्चा हुई थी और उसके बारे में आपकी तरफ से कहा गया था कि इसका ऐसा अर्थ नहीं है और केवल अफीम या फिर पोस्त, बीज अर्थात खसखस को छोड़कर, क्योंकि व्यापारिक प्रतिबन्ध तो बीज के व्यापार के ऊपर भी है, मैं उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। उसके पहले इस परिभाा के बारे में आपका ध्यान आकर्ति करना चाहता हूं ताकि परिभाा को आप ठीक करें, अन्यथा इस परिभाा से अत्यधिक कठिनाई होने वाली है और बड़ी तादाद में इससे किसान परेशान हैं। खसखस (पोस्त बीज) को भी स्पट किया जाना चाहिए । जानता हूं, आपने तो उस क्षेत्र का दौरा भी किया है। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 60 हजार किसान जो अफीम की खेती करते हैं, इसी अफीम कृाि के व्यवसाय में लगे हैं। हमारी माननीय मंत्री महोदया श्रीमती वसुन्धरा राजे जी हैं।

उनके क्षेत्र में 40,000 किसान हैं, दूसरे माननीय सदस्य कृपलाणी जी बैठे हैं, उनके क्षेत्र में 20-30,000 किसान हैं। इसलिए यह सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहां इसके किसान प्रभावित होने वाले हैं।

संसद की फाइनेंस की स्टेंडिंग कमेटी में जब यह बिल गया था तो उसने कई सिफारिशें की थीं। उसकी एक सिफारिश का मैं जिक्र करना चाहता हूं। इसमें 23 नम्बर में 90 दिन का क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट का टाइम है, आपके द्वारा जिसको बढ़ाकर 180 दिन करने की बात कही गई है। कमेटी ने प्रस्तावित किया है 72घंटे और कहा है कि रिजनेबल टाइम नहीं, रिजनेबल टाइम से तो कुछ स्पट नहीं होगा। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं --

> "The Committee are of the opinion that the words 'within a reasonable period' may give unnecessary liberty to an officer who may not exercise due diligence in sending the required information to his immediate official superior, with a sense of urgency, so, it is recommended that the words 'within a reasonable time' be substituted by 'within 72 hours' ".

यह उस कमेटी की सिफारिश है। मैं चाहूंगा कि इस कमेटी की सिफारिश पर ध्यान देना चाहिए और रिजनेबल टाइम जो बताया, उसको ठीक किया जाना चाहिए।

मैं समिति की एक अन्य सिफारिश की ओर आपका ध्यान आकर्ति करना चाहूंगा। उसमें स्पट लिखा है कि आप सीजर का अधिकार है, वह किसे देंगे। पीयून नहीं हो, सिपाही नहीं हो, कांस्टेबल नहीं हो, उसके अलावा जिसको चाहे, वे अधिकार दे रहे हैं, यह भी निश्चित नहीं है। इस तरह से सुविधा देने से लोगों के मन में संदेह होगा और लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाएगा।

मैं इस बिल की प्रमुख बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्ति करना चाहूंगा। यह कहा गया है कि सेक्शन 15 से लेकर 18, 19, 20, 22, 26, 27, 30, 31, 37, 39, 41, 43 और 45 में परिवर्तन किया गया है। सेक्शन 29 में खेतीहर किसान हैं, उनकी परिभाा दी है। यह भी दिया है कि अफीम की काश्त के लिए लाइसेंस प्राप्त करना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि खेतीहर किसान वह भी है जो सुबह खेत में जाकर चीरा लगाता है और शाम को उसे इकट्ठा करता है। चीरा लगाने वाला, बोने वाला और इकट्ठा करने वाला ये लोग भी किसान हैं, इनके पास लाइसेंस नहीं होता। प्राय: ये सब कृाि मजदूर होते हैं ।, इसलिए इसको विभाजित किये जाने की आवश्यकता है। इसमें हजारों की तादाद में किसान लगे हुए हैं। इसलिए इस परिभाा को ठीक किए जाने की आवश्यकता है। मैं एक बात और यहां उद्धृत करना चाहता हूं। खेतीहर द्वारा इसके गबन की बात है। खेतीहर कौन हैं, उनके लिए दंड की व्यवस्था दस वर्ा से कम नहीं होगी और 20 वर्ा तक हो सकेगी। इसमें थोड़ा स्पट किया है कि इसकी तादाद के आधार पर तय होगा कि वह इकोनोमिकली छोटी मात्रा में है, बड़ी मात्रा में है या व्यावसायिक मात्रा में है। यह ठीक है कि अगर व्यावसायिक मात्रा में है तो बड़ा क्रिमिनल अपराध लगता है। लेकिन कई बार किसानों के घरों में पांच या दस ग्राम की मात्रा भी होती है। वह इसलिए होती है कि बच्चा अगर बीमार हो जाए तो दवा के रूप में उसे थोड़ी सी अफीम दे दी जाती है। आज भी गांवों में यह प्रथा प्रचलित है। इसके कारण अगर किसी के पास एक ग्राम या पांच ग्राम भी अफीम मिल जाए तो वह भी अपराधी है। अगर उसके बर्तन में, जिसमें वह रखकर ले जाता है, बची हुई रह जाए तो वह भी अपराधी है। इसलिए इसको ठीक किया जाना चाहिए।

जिस तरह से किसानों को दंडित किया जाता है, मैं उसका भी जिक्र करना चाहता हूं। आपके जो अधिकारी हैं, वे जब स्टेटमेंट लेते हैं तो किसी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बताओ कहां से अफीम निकली और इसमें कौन-कौन शरीक था। अब वह बेचारा डरकर दो-चार के नाम बता देता है। भले ही वे नाम गलत हों या सही हों, फिर वह अधिकारी उन लोगों को पकड़ लेता है। इसके अलावा जो वह स्टेटमेट लेते हैं, कोर्ट में उसको किसान बदल नहीं सकता। हर कोर्ट में और मामले में यह व्यवस्था है कि पुलिस के सामने जो बयान दिया जाता है, कोर्ट में आप बता सकते हैं कि मुझसे यह बयान डरा-धमका कर लिया गया है, लेकिन अफीम एक्ट के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार विभागीय अधिकारी झूठे मामले बनाकर उत्पादकों को परेशान करते हैं । ऐसे कई मामले सामने आए हैं ।

उससे जो ब्यान लिया जाता है, वह डरा कर लिया जाता है या किसी भी तरह से ले लिया जाता है लेकिन उस स्टेटमेंट को आखिरी स्टेटमेंट मान कर सजा दे दी जाती है । मेरे विचार से इसमें यह विसंगती है । इसी विसंगती को मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं । एक प्रश्न के जवाब में लोक सभा में बताया गया था कि अफीम की तस्करी हो रही है, अवैध व्यापार चल रहा है । इस अवैध व्यापार में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराट्र, पंजाब और मेघालय राज्य आदि प्रमुख हैं । ट्रि ायरंजन दास मुंशी जी बता रहे थे कि मणिपुर में भी तस्करी हो रही है। म्यांमार से नशीले पदार्थ भारत में लाए जा रहे हैं । मैं राट्रीय सहारा, समाचार पत्र को उद्धृत कर रहा हूं । इसमें लिखा है - मणिपुर में युवा वर्ग शिकार - मणिपुर के रास्ते हेरोइन की तस्करी से यहां के युवाओं पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। मणिपुर की कुल आबादी में से दस प्रतिशत लोग हेरोइन के आदि हो चुके हैं। प्रतिदिन 75 ग्राम से लेकर एक किलोग्राम हेरोइन का सेवन करते हैं । मणिपुर में एड्स का प्रकोप बढ़ रहा है। म्यांमार की सैनिक सरकार के शीर्ा अधिकारी मेजर जनरल खिन न्यून्ट चीन के ड्रग्स माफियाओं और म्यांमार के उग्रवादी संगठनो के कार्यकर्ताओं को नशीले पदार्थ भारतीय सीमा तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए ट्रैवल-पास भी मुहैया कराते हैं पाकिस्तान से लगी राजस्थान सीमा से भी तस्करी होती है । मैं समझता हूं कि यह मामला गम्भीर है और इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । किसानों को मूल्य भी बहुत कम मिलता है ।

महोदय, मैं इस संबंध में स्थायी समिति की रिपोर्ट को भी उद्धृत करना चाहता हूं। रिपोर्ट में कीमतें बढ़ाने की बात भी कही गई है । रिपोर्ट में कहा गया है -

> "The Committee, therefore, recommend that the Government should fix adequate price after taking into account all the relevant factors so that the farmers are properly compensated and they are not lured to sell their produce through illegal channels. "

रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि किसानों को कीमत ठीक मिलेगी तो निश्चित रूप से वह किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आएगा और तस्करों के दबाव में नहीं आएगा। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि किसान को ठीक कीमत दी जाए । इस बात को सभी जानते हैं कि अफीम से हेरोइन बनती है, स्मैक बनती है और दूसरे पदार्थ बनते हैं। इस बात को माननीय मंत्रीजी भी जानते हैं और इस बारे में बार-बार मांग हो रही है कि किसानों को उनके उत्पादन की कीमत दी जाए । किसानों की उपज को लेते समय सरकार तौल केन्द्रों की संख्या भी बढाये ।

महोदय, समिति ने एक और बात भी कही है । मैं उसको भी उद्धृत कर रहा हूं -

> "The Committee desire that sufficient centres equipped with scientifically-updated testing facilities should be expeditiously set up with a view to minimise the harassment of the cultivators."

समिति ने कहा है, जब किसान अपने माल को लेकर आता है, वहां पर सफिशियेंट सैन्टर्स नहीं होते हैं। बीस सैन्टर्स की आवश्यकता होती है, लेकिन वहां पर दस ही सैन्ट्रस होते हैं। साथ ही किसान दूर-दूर से अपना माल लेकर आते हैं, तो रास्ते में उनकी अफीम लूट ली जाती है और फंसता किसान है । उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर करके कार्यवाही शुरू हो जाती है । जिसने माल को लूटा होता है, उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है। साथ ही वहां पर टैस्टिंग फैसिलिटीज की भी सुविधा पर्याप्त नहीं होती है। ओवन परख पर किसानों को विश्वास नहीं है । किसान कहते हैं कि हाथ-परख तरीका ठीक था । ओवन-परख में जबकि सैंट परसैंट रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन कह दिया जाता है कि अफीम ठीक नहीं है । जब उसी अफीम को मथ कर टैस्ट किया जाता है, तो वह सैंट-परसेंट ठीक हो जाती है । मथने के कारण पानी का माइश्जाचर मिल जाता है और स्थिति बदल जाती है । इसके ऊपर रहने से परिणाम दूसरे बन जाते हैं ।

उसे वाटर मिक्स बना दिया जाता है और वाटर मिक्स का केस बना कर सीधे चालान कर दिया जाता है। इसलिए मैंने इसे मंत्री जी के ध्यान में लाया है क्योंकि रोज इसी तरह की बातें होती हैं। महीने-15 दिन बाद अफीम की तोल प्रारम्भ होने वाला है और किसान जगह-जगह जाकर अपनी अफीम का तोल करवाएगा। उसे कोई परेशानी न हो, इसलिए मैंने दो-तीन बातों की तरफ ध्यान आकर्ति किया है। मैंने जो सुझाव दिए हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रीजनेबल टाइम को ठीक करने की आवश्यकता है। वक्तव्य के बारे में जो स्टेटमेंट है, उस बारे में फाइनल न हो, अगर कोर्ट में जाकर किसान कुछ कहना चाहे कि मेरा स्टेटमेंट दबाव में लिया गया था तो उसके स्टेटमेंट को बदला जाना चाहिए। दूसरा मेरा कहना है कि जो अधिकारी है वह छोटे रेंक का नहीं होना चाहिए। वह कम से कम सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के रेंक का हो।

â€¦( व्यवधान) अगर आप तहसीलदार और नायब तहसीलदार को ये अधिकार देंगे, उन्हें अधिकृत करेंगे तो काम नहीं बनेगा और यह ठीक भी नहीं होगा। अभी जो मैंने समय की अवधि बताई है, जो क्रिमिनल प्रोसिज़र कोड में 90 दिन है, उस संबंध में कमेटी ने कहा है कि 72 घंटे का समय होना चाहिए। वह समय 72 घंटे किया जाना आवश्यक है। इन कुछ विशेा बातों की तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्ति किया है। मैं समझता हूं कि इनकी तरफ आप विशेा ध्यान देगे और विचार करेंगे। इस एक्ट के अंदर जो बातें अधिकारी की नियुक्ति के बारे में कही गई हैं मैं उन्हें पढ़ कर सुनाता हूं-

> "Any such officer (being an officer superior in rank to a peon, sepoy or constable) of the departments of central excise, narcotics, customs, revenue intelligence or any other department of the Central Government including paramilitary forces or armed forces as is empowered in this behalf by general or special orderâ€¦ "

यह ठीक बात नहीं हुई। â€¦( व्यवधान)

महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर मैं 60-70 हजार किसानों की बात नहीं कर सका तो मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। â€¦( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : There are two more Members from your Party.

**डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** महोदय, जिस तरह से डिपार्टमेंट के द्वारा किसान प्रताडित होता है, अब मैं उस पर बोलना चाहता हूं। अब ह्रासमेंट कहां पर है - अगर किसी ने किसी व्यक्ति के यहां से माल पकड़ा और अगर उसने किसी तीसरे व्यक्ति का नाम लिखा दिया तो आप उसकी सम्पत्ति कुर्क करने चले जाएंगे। उसकी सम्पत्ति कुर्क होगी - यह न्यायसंगत नहीं है। इसमें जो सामान्य विधि के प्रावधान है, उन प्रावधानों का भी आप कई बार उल्लंघन करते हैं। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन कई बार सरकार के ध्यान में आया है कि सरकारी फैक्ट्रियों से बड़ी मात्रा में अफीम गायब हो गई। सरकारी फैक्ट्री से कैसे अफीम गायब हो जाती है। यह आपके समय की बात नहीं है बल्कि आपके वित्त मंत्री बनने से पहले की बात है। उस समय आपके पास वित्त मंत्रालय नहीं था। उस समय दूसरी

सरकार थी जब फैक्ट्री से अफीम गायब हो जाती थी और कई तोल केन्द्रों से अफीम गायब हो गई। अगर इसी तरह होगा तो कहीं न कहीं, जहां नारकोटिक विभाग के लोग लिप्त रहते हैं.â€¦( व्यवधान)

**श्री राजो सिंह :** उस समय यह वित्त मंत्री नहीं थे लेकिन वह ऑफिसर उसी समय का है। ऑफिसर वही रहता है, कुर्सी इनकी बदलती है, उसकी कुर्सी नहीं बदलती है।â€¦( व्यवधान)

**डॉ.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि इन सब बातों को आप एक बार फिर से देखने की कृपा करें और 1985 के विधेयक के अंदर जो प्र ाावधान रखे गए थे, मैं समझता हूं कि उसमें सजा के प्रावधान बहुत जल्दबाजी में किए गए हैं। जिन्हें वास्तव में सजा मिलनी चाहिए वे लोग बाहर रह जाते हैं और जिन्हें नहीं मिलनी चाहिए, वे अंदर होते हैं। आज भी छोटे-छोटे मामलों में किसान बंद हैं। वह आदमी बंद नहीं है, जो तस्करी करता है, करोड़ों रुपए लेकर लोगों को तस्करी में लिप्त कर रहा है, लेकिन किसानों को बंद कर दिया जाता है। किसान का ह्रासमेंट रुकना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी कई बार इसमें खुद लिप्त होते हैं। मैं इसी विाय में पिछले दिनों मंत्री जी से मिला था। मुझे विश्वास है कि उन्होंने उस मामले में काफी ध्यान दिया है। इसमें काफी सुधार हुआ है लेकिन अभी और ज्यादा सुधार की गुंजाइश है, ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है।â€¦( व्यवधान) यू.एस. कंवेशन के तहत हम प्रतिबंधित हैं। हमें अफीम बाहर भी सप्लाई करनी है और एग्रीमेंट के तहत भी देनी है। हम उसकी पैदावार भी बढ़ाना चाहते हैं और पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ नये लाइसेंस भी देते हैं। मादक पदार्थों के बारे में यू. एस. कन्वैंशन से भी हम बंधे हैं ।

किसानों को खेती के लिये नये लाइसेंस दिये जाते हैं ; पुराने लाइसेंसों को ये रिन्यू भी करते हैं। कम ज्यादा रकबा करना, क्षेत्रफल या एरिया को घटाना-बढ़ाना - ऐसा प्रतिर्वा होता है और यह कहीं पर ठीक से होता है और कहीं पर ठीक से नहीं होता है। कुछ अधिकारी अच्छे होते हैं, प्रामाणिक होते हैं लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनके दोाों को ढका नहीं जा सकता। मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछली सरकार की बात कर रहा हूं। एक केन्द्र के अंदर एक अधिकारी ने तौलक के नीचे चुम्बक लगाया। तो तौल में तो कम आयेगा। अगर इस तरह की बातें होंगी तो मैं समझता हूं कि लोगों के अंदर असंताो होगा, रोा होगा। बहुत कुछ ठीक करने का प्र ायत्न किया गया है और बहुत कुछ अभी भी ठीक करने की गुंजायश है। मुझे जो और निवेदन करना है समय की कमी है वह मैं माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दूंगा ताकि बाकी संशोधन और हो सके और इसका अच्छा प्रभाव जाए, ऐसी मेरी आकांक्षा है।

इस सरकार के आने के बाद किसानों की सुनी गयी है और किसानों की रक्षक बनकर यह सरकार आई है और किसानों पर किसी भी प्रकार का दुःख यह सरकार आने नहीं देगी तथा कोई भी ऐसा काम यह सरकार नहीं करेगी जिससे किसानों का मन दुःखी हो। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भााण समाप्त करता हूं।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :** सभापति महोदय, स्वापक औाधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक को जो यह सरकार लाई है, यह 1985 का कानून 1989 में संशोधित हुआ। इस पर यूएनओ की जनरल असेम्बली में बार-बार रैजोल्यूशन पास करके चिंता व्यक्त की गयी है कि दुनिया भर में नशीले पदार्थों की तस्करी, बिक्री बढ़ रही है और इससे मानवीय जीवन की और विशेाकर युवाओं की बहुत भारी बर्बादी हो रही है। अफीम, हैरोइन, गांजा, हशीश, मैनड्रैक्स आदि भी युवक खा रहे हैं। दुनिया के विभिन्न देशों में इनके खिलाफ कठोर प्रावधान हैं और फांसी की सजा तक है। यहां भी इसकी चर्चा होती है। लेकिन यह जो विधेयक आया है उसमें प्रथम नम्बर पर है कि बेल के मामले में जो कठोर प्रावधान है, जो स्ट्रक्ट प्रावधान है उसको रिस्ट्रक्ट किया जाए। आखिर यह क्या चाहते हैं कि ढिलाई की जाए। फिर सजा को भी यह सरकार कम करना चाहती है। सभापति महोदय, दुनिया के परिदृश्य को देखा जाए बर्मा, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, लंका और भूटान जो हमारे पड़ौसी देश हैं उनमें बड़ा भारी इनका व्यापार बढ़ रहा है और इन पर रोक नहीं हो रही है। लगभग 400 बिलियन डॉलर का नशीले पदार्थों का व्यापार है। माननीय दिग्विजय सिंह जी आ रहे हैं और इनकी पार्टी के माननीय जार्ज साहब मंत्री हैं। मैं उनकी कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाता हूं :-

> "Mr. Fernandes, in a note on the resolution on national security taken at the Samata Party's National Council Meeting on 29th May last has stated that "India's policy to constructively engage Burma by opening two overland routes for trade with that country has resulted in massive smuggling of Chinese goods into India from Moreh in Manipur."

मणिपुर में मोरे नामक जगह है। वहां से काफी सामान आता-जाता है। नारकॉटिक्स पदार्थ आते-जाते हैं। समता पार्टी के एक मंत्री ने इस बारे में चिन्ता व्यक्त की थी। अभी अन्य लोगों ने भी इस बारे में चिन्ता व्यक्त की। India fails to check narcotic trafficking.

The International Narcotics Control Strategy Report said that underground `hawala' system, which is flourishing in India and throughout South West Asia for generations, continues to be a money laundering methods for drug traffickers wishing to return their proceeds to any part of the world. There have been a number of scandals involving prominent political figures in India which focussed attention on this system.

उन्होंने कहा कि भारत फेल पड़ गया है। आप ढ़िलाई वाला विधेयक लाए हैं। हम इसका कैसे समर्थन करें? रिपोर्ट कहती है कि इसमें हवाला लिप्त है और इसके साथ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लोग जुड़े हैं। बड़ी भयावह स्थिति है। इसके साथ आई.एस.आई. का लिंक है। इसके साथ हवाला का लिंक है और इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लोगों का लिंक है। ड्रग्स ट्रैफिकियर्स का लिंक है। कितनी भयावह स्थिति है? इससे क्या होने वाला है? 1999-2000 के नवम्बर तक 45 हजार 375 क्विंटल माल जब्त हुआ। स्वापक औाधि और मनःप्रभावी पदार्थ जब्त हुए। इसे लेकर कुछ लोग गिरफ्तार हुए और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। नेपाल की सीमा से गांजा और हेरोइन अंधाधुंध जारी है। अंग्रेजी राज में जो अफीम की खेती करते थे, उन्हें बड़े ईनाम दिए जाते थे। वे लोग उन्हें अपने देश ले जाते थे और इसका कारोबार करते थे। आने वाली पीढ़ी और नौजवानों को इससे बचाना पड़ेगा। इसका नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिंगापुर में फांसी की सजा है। आप यहां इसे नेशनलाइज कर रहे हैं। मतलब ढिलाई बरत रहे हैं। इसे रोकने के लिए सख्त प्रावधान करने पड़ेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि इस बिल में कमियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया कि सब कुछ ताक पर रख दिया। आपने देश हित को भी ताक पर रख दिया। आपने आने वाली पीढ़ी को और उनके भविय को ताक पर रख दिया। आप ढ़िलाई वाला और कमजोर कानून लाए हैं। इसका 400 बिलियन डालर का दुनिया में कारोबार हो रहा है। यू.एन.ओ. में भी भारत के इस रूख के बारे में चर्चा हुई। उसकी जनरल असेम्बली में इस पर चर्चा हुई। अन्तर्राट्रीय संस्थाओं ने इस पर चिन्ता प्रकट की। नशीले पदार्थ और नशीली दवाएं जन जीवन के लिए हानिकारक हैं। इसकी लत लगने पर वह छूटती नहीं है। उससे सब कुछ सर्वनाश हो जाता है। चीन में इसे लेकर क्रांति हुई। अफीमची चीन इससे मुक्त हो गया। हमारे देश में नशे का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है और आप इसे रोक नहीं पा रहे हैं।

इसलिये इस ढीले-ढाले लचर कानून से काम चलने वाला नहीं है। इसके लिये सख्त कानून आना चाहिये। हमारे देश के गरीब लोग जो नशा करते हैं और अंतरराट्रीय स्तर पर आई.एस.आई. द्वारा जो भयावह परिस्थिति पैदा की हुई है, उसके लिये एक कांप्रिहैंसिव और कड़ा कानून लाना चाहिये था। जिस तरह से नशे के व्यापार का प्र ाचार और प्रसार होता है, उसको बंद करने के लिये इस तरह का कानून लाया जाये ताकि देश की सुरक्षा और भविय सुरक्षित रहे। अगर देखा जाये तो यह एकदम से

कमजोर बिल है। इसको दुरुस्त करके लाना चाहिये क्योंकि इस बिल से सुधार होने वाला नहीं है। यू.एन.ओ. का रिज़ोल्यशून है, उसका पालन करिये, हाई कोर्ट का निर्देश देखिये तथा सुप्रीम कोर्ट की पांच जज की बैंच वाली रूलिंग देखिये। हालांकि इस बिल के आब्जैक्ट्स और रीजन्स में जो कहा गया है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है और वह एकदम से खोखला है। इसलिये ऐसे बिल से काम चलने वाला नहीं है। आने वाली पीढ़ी और देश हित के लिये कड़ा कानून लाइये, जिससे इस तरह का खराब व्यापार रुक सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU (TENALI): Sir, I stand to support the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2000 brought forward by this Government. The purpose of this Bill is to amend some Clauses of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985. This is really a very important Bill from the national point of view because there are several dimensions. I really congratulate the hon. Minister for having brought forward this Bill to give more teeth to the existing Act and also to implement the provisions in their true sense.

I must also congratulate the Chairman and Members of the Standing Committee for having done a lot of exercise on various provisions.

The drug addiction, particularly, has been rampant. It has reached the dimensions of a big menace in the society where several evils are mostly connected with drugs and narcotics. There is a new type of culture, and Mafia gangs have emerged out of this trade right from its cultivation, production, processing, manufacturing, sale and purchase, import and export. There is smuggling activity from other countries and from across the border. It has reached disproportionate dimensions.

As our other hon. colleagues have pointed out, this drug activity is leading to moral, ethical and cultural deterioration in the society. Several evils like atrocities on women, murders, economic offences and other anti-social activities are taking place under the influence of these drugs and narcotics.

It is a hard fact that people are not finding it possible to go to certain areas beyond 7 o"clock in the night even in this city. Even in the most popular places like Connaught Place, people are afraid of going to certain parts beyond 7 o"clock in the night. Robberies, eve-teasing, etc. are the situations that the people have been facing under the influence of these drugs and narcotics.

Sir, how is it possible that these things happen in such public places? There are offenders who are doing it and on several occasions, it has been discussed that people are being booked, but beyond the offenders there are abetters who are making this trade possible and flourishing. What to say about these abetters? I do not hesitate to say that they have been ranging right from some of the employees even to the public persons. So, when it comes to the question of penalising these people, under several penal clauses, the penalty should be much more if he happens to be an employee or a public person as compared to an offender.

Deliberately these types of offences are being encouraged in certain cases. Our friends have just mentioned about several States where it is being deliberately cultivated and in most of the cases and even *ganja*, opium, etc. is up to the extent of 90 per cent unlicensed. On certain occasions, the raids are being conducted, the crop is being destroyed, but it is not a solution to this menace.

Sir, very good provisions are being brought about. Our experience in the past says that the country is not short of legislations, not short of hard provisions, but the country is short of the will to implement these provisions. The society is short of awareness and short of confidence to implement some of these things. If the people who are handling these provisions have got a commitment to implement these provisions, it is not impossible to eradicate some of these activities.

At this particular point, I would like to mention a few things. I will not be going through several amendments that have been brought about, but I would like the hon. Minister to see one particular thing on page 3 while proposing several amendments to Sections 15 to 18. Under Section 15 (C), it has been stated:

> "Where the contravention involves commercial quantity, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to twenty years and shall also be liable to fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to two lakh rupees: "

This extension of 20 years, if it is not inconvenient, it may be termed as extension up to life term because anything beyond 14 years is called life term imprisonment.

So, instead of calling it as 20 years' imprisonment, it can be called as a life term imprisonment. I would request the hon. Minister to examine this particular case.

I may also, particularly, mention once again about the smuggling activity, which is rampant, which has grown disproportionately, and which is really spoiling the generation, particularly the youths. They are attracted to this type of drugs and narcotics. After addiction, they are just trying to have their own injections, self-injections, and this is spoiling the entire race and the entire younger generation, which is the hope of this country. In that regard, this particular Amendment Bill would certainly take care of several evils. I once again congratulate the hon. Minister but as I have already mentioned, it requires a lot of will to implement these provisions.

**15.41 hours** (Dr. Raghuvansh Prasad Singh *in the Chair*)

With these few words, I support this Amendment Bill and I congratulate the hon. Minister once again.

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Bill. This Bill was drafted with criminological and penalogical view of the theory that punishment should be proportionate to the offence committed. If the quantity is more, there has to be more punishment and if the quantity is less, then, I think, the Finance Minister will say something about that. So, depending upon the gravity of the offence, that is, if it is worth more than two lakh of rupees, the punishment will be enhanced to 10 years provided the reasons are recorded by the presiding Judge.

Sir, the scale of justice now has emanated from this House to the presiding Judge. India has been used as a transit place for illicitly transporting the drugs especially from Myanmar and other neighbouring countries. We are not producing synthetic drugs. These synthetic drugs have been illicitly transported *via* India to the bordering countries. Sir, this drug trafficking is a menace to our Indian modern society. The younger generation is being spoiled due to drug trafficking. It is high time that the Government has brought forward this piece of legislation to check the offenders.

Sir, there must be another provision to be incorporated in this penal section that if he commits the same offence once more, the punishment should be doubled. It is not there. Previously, the Supreme Court had declined to grant bail. Now, even for an offence under NDPS Act, the Supreme Court has said that he is entitled to bail. If that is the case, then that judgement will encourage the narcotic offenders. The residuaries will actually involve on so many occasions in the drug trafficking. So, I would say that still some more stringent legal measures should be taken by the Government to check this drug trafficking.

Sir, I do not want to repeat the points mentioned by Shri Priyaranjan Dasmunsi and other hon. Members. I adopt the same but with the view that some more stringent measures have to be incorporated in the penal provision because 10 years is nothing. Even in a murder case, a convict is sentenced to life but he comes out within 10 years. If it is 10 years, then he is also entitled to remission and other usual concessions under the present rules.

So, there should be a deterrent punishment to these drug trafficking offenders. I support the Bill.

**श्री महेश्वर सिंह (मंडी) :** सभापति महोदय, जो स्वापक औाधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2000 माननीय वित्त मंत्री महोदय ने सदन में विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मंत्री महोदय ने इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करते हुए इसके उद्देश्य एवं कारणों में यह स्पट किया है कि वर्तमान में जो लोग नशीले पदार्थों का नाना प्र ाकार से धंधा करते हैं और उनको जो सजा दी जाती है वह कम से कम 10 वर्ा के कठोर कारावास की सजा है और यह 20 वर्ा तक चली जाती है। यही नहीं, जिनको सजा होती है, उन्हें बेल लेने के लिए भी कई वर्ा लग जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यह आवश्यक समझा गया है कि सजा को रैशनलाइज किया जाए और जो कामर्श्यल मुजरिम हैं तथा जो नशीले पदार्थों का व्यापार करते हैं उन्हें अधिक सजा दी जाए अर्थात् जिनका गुनाह कम है, उन्हें कम सजा दी जाए और जिनका जुर्म बड़ा है उन्हें ज्यादा सजा मिले। इसके उद्देश्य और कारणों में जो बताया गया है, मैं उससे सहमत हूं।

महोदय, मैं इस विधेयक के उद्देश्य का तो समर्थन करता हूं, लेकिन मैं मंत्री महोदय से एक स्पटीकरण अवश्य चाहूंगा। कभी-कभी यह देखा गया है विशेारूप से स्कूल जाने वाले बच्चों को नशीले पदार्थों की लत लगाने के लिए कुछ लोग सिगरेटों में थोड़ी-थोड़ी चरस भरकर उन्हें पिलाते हैं। यही नहीं, कई स्थानों पर तो स्मैक दी जाती है और अब तो आयोडैक्स जैसी दवाओं के सैंडविच बनाकर, उन्हें स्कूली बच्चों को देकर मादक पदार्थों के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और कहीं क्रोसिन सिरप पिलाया जा रहा है। स्कूल के बच्चों में मादक पदार्थों की लत लगाने के लिए इस प्रकार का जो धंधा करने वाले लोग हैं, जो बच्चों को गलत आदतों की ओर ले जाने वाले लोग हैं, उनको आप मायनर ऑफेंस मानेंगे या मेजर ऑफेंस? अगर मायनर ऑफेंस मानकर उन्हें छ: महीने की सजा दी जाएगी, तो निश्चितरूप से आने वाली पीढ़ियों को बच्चों को नशीली दवाएं पीने की आदत डालने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा, जो ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को भी कड़ी सजा का प्रावधान रखा जाए।

महोदय, इसी प्रकार से विधेयक में मंत्री महोदय, ने कामर्श्यल की मात्रा का कहीं उल्लेख नहीं किया है कि आप कामर्श्यल मात्रा किसे कहेंगे। क्या वह मात्रा एक किलो होगी, दो किलो, तीन किलो या चार किलो होगी। कामर्श्यल मात्रा का क्या अर्थ है ?

सभापति महोदय, मैं एक पहाड़ी और ऐसे क्षेत्र से आता हूं जिसका अभी सदन में नाम भी लिया गया - हिमाचल प्रदेश। यह सही है कि वहां भी किसी समय अफीम की खेती होती थी, लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के किसानों को लाइसेंस दिए गए उस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के किसानों को लाइसेंस नहीं दिए गए। फलस्वरूप खेती बन्द हो गई, लेकिन यह भी सत्य है कि छोटे-छोटे किसान अपने घरेलू उपयोग अथवा दवाई के लिए थोड़ी मात्रा में यानी 10-15 ग्राम अफीम पैदा करते हैं। उन्हें भी कानून की आड़ में बहुत परेशान किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में खस-खस को खाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। खस-खस का खाने के लिए उपयोग किए जाने का बहुत चलन है। डोडे में चीरा लगाकर अफीम निकालना तो ऑफेंस माना जा सकता है, लेकिन घर में प्रयोग करने या खाने के लिए खस-खस के दाने निकालने को भी ऑफेंस माना जाता है, यह ठीक नहीं है। मेरा आग्रह है कि खस-खस के दाने निकालने को ऑफेंस नहीं माना जाना चाहिए और खस-खस के दाने निकालने या रखने पर सजा नहीं होनी चाहिए। इससे भ्रटाचार पनपता है क्योंकि खस-खस तो बाजार में भी मिलता है। यदि कोई बाजार से खरीद कर खस-

खस लाए और उसके पास पाई जाए, तो उसे ऑफेंस मानकर आप सजा देंगे, तो यह ठीक नहीं है। खस-खस निकालने को आफेंस न माना जाए।

सभापति महोदय, जहां तक चरस का संबंध है। हमारे पहाड़ों में दो प्रकार की चरस होती है। एक तो वह है जो जंगलों में भंग के रूप में उग आती है जिसकी पत्तियों को मसल-मसल कर भंग इकट्ठा कर के लोग व्यापार करते हैं। दूसरे प्रकार की भांग वह है जो बूटे के रूप में किसानों द्वारा लगाई जाती है और जिसके रेशे से रस्सी बनती है जिसको पुला कहते हैं तथा जिसे पर्यटक खरीदते हैं जिससे स्थानीय गरीब किसानों की आय होती है। जब यह खेती की जाती है, तो गिरदावर रैवेन्यू रिकार्ड में गिरदावरी करते समय यह लिखता है कि इतने क्षेत्रफल में भांग की खेती की है। इस आधार पर ही अधिकारी लोग भांग उगाने के कानूनी प्रतिबन्ध के आधार पर छोटे-छोटे किसानों को परेशान करते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि वह इसका मादक प्रयोग नहीं बल्कि अपनी आय के लिए रस्सी बनाने के लिए प्रयोग कर रहा है। ऐसी स्थिति में गांव में पुलिस आने पर वह भाग जाता है। यदि वह नहीं भागता है, तो उसे पकड़ कर परेशान किया जाता है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि वे इसका स्पटीकरण करें और ऐसी व्यवस्था करें कि इस प्रकार के किसानों को बेवजह परेशान न किया जाए।

सभापति महोदय, मैं यह बात केवल यहीं नहीं कह रहा हूं बल्कि जब मैं 1977 में पहली बार हिमाचल प्रदेश विधान सभा में विधायक चुनकर गया, तब मैंने यह बात ि वधान सभा में भी कही थी।

यहां जब मैं नाइंथ लोक सभा में चुनकर आया तब भी मैंने कहा था कि जो लोग चरस बेचते हैं, उनको तो पकड़ा जाता है लेकिन कोई बड़ा खरीददार पकड़ा गया हो, ऐसा आज तक देखने मे नहीं आया। क्यों वह नौजवान चरस बेचने पर मजबूर होता है -- क्योंकि उसको खरीददार उपलब्ध है। यह धंधा पहाड़ों पर कब से बढ़ा है -- जब से वहां हिप्पियों का आगमन हुआ है। पहले खरीददार नहीं था इसलिए धंधा नहीं होता था। वैसे तो हमारे पहाड़ों की संस्कृति है - "अतिथि देवो भवः" लेकिन आज अतिथि के रूप में वहां जो पर्यटक आ रहे हैं, वे `देवो भवः' नहीं बल्कि हमारे लिए अभिशाप बन गये हैं। वे लोग यहां आकर धंधा करते हैं।

सभापति जी, समय का अभाव है इसलिए एक बात मैं आपके ध्यान में जरूर लाना चाहता हूं। हमारे गृह जिला कुल्लू में एक हिप्पी आया। वह वहां चरस इकट्ठी करता था और उसके पैलिएट तैयार करता था। उसके पास ऐसा पेपर था जो आदमी के पेट में भी डिस्जॉल्व न हो। पहले वह लेक्जेटिव लेकर पेट साफ करता था और फिर एक किलो भंग पेट में डाल लेता था, उसके पैलेड बनाकर निगल लेता था। उसके बाद यहां से वह फ्रेंकफट की फ्लाईट पकड़कर जाता था और वहां जाकर उसे बाहर निकालकर, बेचकर फिर लौट आता था। इसी प्रकार के लोगों के आगमन पर यदि आप प्रतिबंध नहीं लगायेंगे तो निश्चित रूप से गांव में बैठा भोला-भाला नौज वान इसी धंधे में लगेगा। इसलिए अगर चरस के व्यापार को रोकना है तो उन्हें भी पकड़ना होगा जो इसके खरीददार हैं, केवल बेचने वाले को नहीं । जिस प्रकार का सूखा यहां पड़ता है, उससे हमारा किसान बार-बार परेशान होता है। ऊपर से जब चरस पकड़ी जाती है तो दूसरे दिन अखबार में उसका प्रचार होता है कि आज इतनी किलो चरस पकड़ी गई जिसका अंतर्राट्रीय मार्केट में इतना मूल्य है। वह मूल्य करोड़ों रुपये में बताया जाता है। ऐसे प्रचार से यह प्रभाव होता है कि गांव में बैठा भोला-भाला व्यक्ति इस ओर प्रोत्साहित होता है कि चरस का इतना मूल्य है इसलिए क्यों न मैं भी थोड़ी बेच दूं और पैसा कमा लूं। जब इस प्रकार का प्रचार होता है, अखबार में उसकी कीमत बताई जाती है - मेरा कहना है कि उसकी कीमत अखबारों में देने की जरूरत क्या है ? इस पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि इस चीज से एक किस्म का विज्ञापन हो जाता है कि इसकी आज अंतर्राट्रीय मार्केट में कितना वेल्यू है। इसीलिए वह गरीब उसकी तरफ दौड़ता है।

मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हिप्पियों का आगमन विशेाकर पहाड़ों में बहुत ज्यादा है। वे वहां आकर स्थानीय लोगों से शादी विवाह रचा रहे हैं और पक्के व्यापारी बनकर बैठे हुए हैं। उनके आगमन पर रोक लगनी चाहिए, मैं यही निवेदन करूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Respected Chairman, I fully appreciate the intention of the Government to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2000 which brings forward a substantive amendment to the Principal Act of l985.

According to the International Convention, by giving a new shape for this Bill, not as a punishing act, but as a social reform Act and by giving a more detailed explanation to Section 7A of the Principal Act, , now this Fund, collected by the Central Government by way of executing the Act, is going to be utilised for the purpose of --

a. combating illicit traffic in narcotic drugs, not only in that aspect, but also in,
b. controlling the abuse of narcotic drugs,
c. identifying, treating and rehabilitating the addicts,
d. preventing drug abuse,
e. educating the public against drug abuse, and
f. supplying drugs to addicts where such supply is a medical necessity.

These aspects are very very important at the present juncture because many innocent people are being dragged into this net of this vicious circle.

Even at the school level, the Bill has incorporated it that if anything punishable happens near the school, then that will also attract an enhanced punishment, as provided under Section 32B which is going to be inserted.

Therefore, this aspect of looking at the social welfare is very much appreciable. But at the same time, the executing part of the social aspect has also to be looked into, for which there has to be an organisation or there should be a structure to follow up this particular Section 7A.

It is because two classes of people are mainly offenders in this particular Bill. One is, people who are unemployed; the people who cannot earn in some other way except by this type of carrying small prohibited items and selling them in the market.

There is another type of people who want to amass the wealth in a quickest possible way. So, these two types of people are there. In between, some innocent people are also taken into custody for commission of this particular offence. Therefore, I request you that when you define by the executive order of quantifying the commercial quantity

and also the small quantity, according to the definition made in this Bill, there should be a consideration to cover it up. It should be more than 50 grams or even more than that. The prosecuting agencies are having a habit of putting up the cases by plucking small amount recovered and putting innocent people under the offence. When the prosecuting agencies seize things, contrabands, etc., they are allowed to destroy them in their own way, if it is a small quantity. If it is a bigger quantity or if that is at the harvesting stage, then they have to get the help of the Magistrate to go and investigate and give the report, etc. Therefore, small quantities are much more easily utilised for falsifying cases against simple men. Therefore, the simple men should be protected from the hands of this Act. Therefore, I request that when the executive order comes forth, they should look into the proceedings whether the cases are made against small people, first-time offenders, etc.

In the same way, I would like to appreciate the Government for bringing forward three categories and for the punishments also being made lesser. There is a notification which should be implemented from the date of the introduction of the Bill in the Rajya Sabha because there are a number of pending cases where the first-time offenders are there, who are going to face the punishment for ten years or more. Instead of that, they can have the appreciation of six months, they can be considered for the new provision. In the same way, the commercial quantity should also be explained in a better way when an executive order is given.

Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister that terrorists are very much using this way of narcotic drugs being transferred from one place to another place and exchange them for the arms. They are not converting it even into money. They just transfer these narcotic drugs and get the arms from the other side. So, these types of things are not looked into. In a commercial term, if there is an exchange of materials like this, then there should be regular punishment, which should be more than 20 years' imprisonment. Why it should be for 20 years? That can also be considered for life imprisonment because 20 years is not acceptable for the Magistrate for giving the punishment.

In the same way, when the terrorists are involved in the transfer of arms and when the seizure is found out, then the Act should be amended so that the highest punishment or capital punishment should also be included for commission of that type of offence.

Sir, we have got certain reports from the newspapers and articles that LTTE in Sri Lanka has got a very good movement through the narcotic drugs being transported from one place to another place for exchange of arms.

**16.00 hrs.**

Therefore, this type of terrorist organisations, internal and also external, which are using these means of making quick money for exchange of materials, should be punished by separate forces by starting prosecution against them. Therefore, on that aspect also, this Bill is very clear in telling that the provisions are softer towards such punishment holders.

I would also like to draw the attention of the hon. Minister to the provision of probation in Section 39. Since there is a lesser punishment, that is, when the punishment has come down from ten years to six months, so, if those who were previously using drugs for health purposes, found that they were violating the provision, then they were having the provision of probation applied to them. But my suggestion is that anybody who is coming within the first two categories, that is, the small quantity holders and also those between the small quantity holders and the commercial quantity holders, should get the benefit of probation because they are very easily amenable to punishment, being the first offenders. So, this should also be taken into consideration.

Why I am submitting this particular point is because this Bill is, more or less, having its heart in Section 7B. It is a social obligation on the part of the Government and the society to rectify the people from going into the death trap of this narcotic drugs-using and help them to become proper citizens. That aspect is also becoming brighter and brighter by these amendments. Therefore, I would request that the Government should give much more attention to this also.

At the same time, we should not leave the terrorists and other offenders who are doing it only for commercial purposes.

With these words, I support the Bill and appreciate the Government's intention of bringing this Bill so quickly and making it an Act which can be applied retrospectively also, if possible, to the persons who are suffering a lot now in the pending cases.

SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Mr. Chairman, Sir, as the time is running short, I would also be very short. I would hit the nail straight on the head. I would come to the amendments which have been proposed and I also support these amendments.

Stringent punishments, harsh bail provisions and tardy trials involving some of the enforcement agencies, a few

lawyers and also unscrupulous judicial officers have made it very difficult to get conviction under this particular Act which was enacted in the year 1985 and amended further in 1989. The global situation is such that there is a well-oiled drug trafficking racket working at different places and because the drug trafficking work at the international level is very high, that is why the first and the foremost thing which has been thought of in these amendments is the controlled delivery system. About four years back, a Pakistani drug trafficking agent was contacted by an English Government agent to deliver certain quantity of drugs in England and some amount was paid to him. He delivered the articles in England and took the remainder amount. A case was started against that Pakistani agent, but the question came up as to whether the English man also should be booked or not. It was a very good trial in England and on the basis of that, the international body thought that controlled delivery of drugs should be a part of the enactments in different countries. That is why it has been brought here and it is a very good provision.

But there are some 'buts' and those 'buts' are about the trials that are being thought of in this enactment. Sir, through you, I would invite the attention of the Minister to the summary trial provisions which have been provided in Section 36A, Clause (5).

Now, so far as the summary trial is concerned, it is guided by Sections 260 and 262 of the Criminal Procedure Code, 1973. In the Criminal Procedure Code, there is a mandatory provision that not more than three months' conviction can be there in summary trial cases. But here in this case, if you go in for summary trial which will be tried by a Magistrate First Class usually, but occasionally by a Magistrate Second Class also, - here it is mentioned as Magistrate First Class − the convictions cannot be for more than three months in the ordinary sense although the punishment in the NDPS could be upto three years.

Since a two-tier system has been given for trials, it may create problem. A Magistrate First Class may not send the case to the Sessions Court and the convictions of ten years or twenty years which has been envisaged in this Act may come to a naught. These are certain things which need to be thought of while amending the provisions.

While going to frame the rules also, it is necessary to frame the rules in such a manner that these types of loopholes are plugged from the very beginning. Once the trial is in a proper shape, it will not create any problem.

Now hon. Member Shri Pandiyan has referred to poppy cultivators. This thing will become a very big problem. Section 18 has been amended now where only a small quantity has been indicated whereas Section 19, as it stands with the original Act, does not indicate about the quantity involved. That means that the poppy cultivators, in spite of the fact that they might have embezzled or misappropriated a small quantity, will get ten years' imprisonment whereas under Section 18, it could be only for six months. This will also create a dichotomy between the proposed Section 18 and Section 19 which needs to be thought of.

Since the objective and the horizon have been widened wherein persons of Indian origin who have committed any crime in India or outside or persons who are not of Indian origin but have committed crime outside and have been convicted, are also to be convicted. Hon. Member Shri Pandiyan was talking about recidivism. These may be taken into account while framing the rules.

**श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़) :** सभापति महोदय, मैं स्वापक औाधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बात सही है कि जो यह बिल लाया जा रहा है, हम सब इस पक्ष में हैं कि इस सम्बन्ध में कड़ा कानून बनना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कानून की सख्ती से पालना भी होनी चाहिए। वित्त मंत्री जी यह बिल लाए हैं जिसमें पहली बार इस बात का प्रयास किया गया है कि छोटे जुर्म की सजा छोटी और बड़े जुर्म की सजा बड़ी। मैं चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र से चुनकर आया हूं। झालावाड़, नीमच और चित्तौड़गढ़ का जो इलाका है, देश की 75 प्रतिशत अफीम का उत्पादन वहीं होता है। वित्त मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि बिल पारित हो जाएगा, कानून भी बन जाएगा, लेकिन कानून का दुरूपयोग न हो, इसका ईमानदारी से पालन हो सके, इसकी व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए। नशीली दवाओं के व्यापार से कई घर बर्बाद हो गए, गरीब और गरीब होता जाता है। मैं समझता हूं इस बिल में इस बात की पूरी व्यवस्था की गई है।

पिछले दिनों राज्य सभा में जब यह बिल आया था तो वहां के सांसद बालकवि बैरागी जी ने खसखस के बारे में आशंका जाहिर की थी। अपना भााण देने के बाद उन्होंने कई अखबारों में यह छपवाया कि जो यह बिल लाया जा रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार खसखस पर भी यह एक्ट लागू करके जनता को परेशान करना चाहती है। इस बारे में मंत्री जी थोड़ा स्पटीकरण दें तो अच्छा होगा। जैसा पांडेय जी ने और महेश्वर सिंह जी ने खसखस के बारे में कहा, हमारे हर घर में खसखस पाई जाती है। वह बीज है, जैसे गांजे के बीज पर कानून नहीं हैं उसी तरह खसखस का भी दुरूपयोग नहीं होता है।

इस बारे में स्पटीकरण देना जरूरी है ।

महोदय, मुझे आदेश हुआ है, समय कम है, इसलिए मैं एक-दो निवेदन आपके समक्ष रखना चाहता हूं । मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, हिन्दुस्तान में जब से वाजपेयी जी की सरकार बनी है, तब से हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी तादाद में किसानों को नए पट्टे दिए गए हैं। अफीम के किसानों को जितनी सुविधायें दे सकते थे, उनको देने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि डोडा-चूड़ा का समर्थन मूल्य तय नहीं किया गया है। जब तक आप डोडाचूड़ा का समर्थन मूल्य तय नहीं करेंगे, तब तक किसानों को फायदा होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती 42 प्रति हैक्टेयर है और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में 52 प्रति हैक्टेयर है । इसके अलावा डोडाचूड़ा पर नियन्त्रण राज्य सरकार को दे रखा है । इस वजह से दो रुपए प्रति किलोग्राम किसानों को मूल्य मिलता है, जबकि यही माल ठेकेदार लोग हजारों रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचते हैं। इस बारे में वित्त मंत्री जी को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए । मैं वित्त मंत्री जी के धन्यवाद देता हूं कि पिछली बार उन्होंने अफीम के दाम बढ़ाए थे । भाव बढ़ाने से इसकी तस्करी पर रोक लगाना संभव हो सकता है ।

यदि अफीम की कीमत 500 से 1200 रुपए देते हैं, तो वही अफीम तस्करी में आठ से दस हजार रुपए प्रति किलो में बिकती है। मेरा निवेदन है कि अफीम की कीमत बढ़ाने की ओर आपको ध्यान देना चाहिए और डोडाचूड़ा के भाव को केन्द्रीय सरकार अपने नियन्त्रण में ले, जिससे किसान थोड़े बहुत सम्पन्न हो सकें ।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं । यदि किसी संयुक्त परिवार में दो बेटे हैं और अलग-अलग रह रहे हैं, तो एक बेटे की जमीन को निरस्त कर दिया जाता है। इसके बारे में व्यवस्था यह होनी चाहिए, यदि किसी संयुक्त परिवार में चार बेटे हैं और वे अलग-अलग रह रहे हैं, तो किसी की भी जमीन को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक बात मैं अफीम की जांच व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं। नई व्यवस्था के अनुसार ओवन के द्वारा अफीम टैस्ट की जाती है । इस व्यवस्था में ग्रेडिंग में अन्तर आ जाता है । अच्छी ग्रेड की अफीम हल्की ग्रेड में बदल जाती है और हल्की ग्रेड की अफीम अच्छी ग्रेड में बदल जाती है । ग्रेडिंग की सही जांच करके किसानों को उनके उत्पादन की कीमत मिलनी चाहिए।

अंत में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे दल की सरकार ने सत्ता में आने के बाद और वित्त मंत्री जी द्वारा कार्यभार संभालने के बाद काफी समस्याओं का समाधान किया गया है । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

**श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) :** सभापति महोदय, 16 नवम्बर, 1985 को NDPS एक्ट लागू किया गया था और उससे पहले ओपियम एक्ट रिपील किया गया था । NDPS एक्ट लागू करने के बाद यह दूसरी बार संशोधन किया जा रहा है । पहला संशोधन 1998 में किया गया था और दूसरी बार अब सन् 2001 में किया जा रहा है । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

महोदय, समय की कमी को देखते हुए, मैं सिर्फ बिल के दो प्रोवीजन्स का जिक्र करना चाहता हूं । खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में वर्षों से लोग ओपियम का सेवन करते हैं और उनको लाइसैंस दे रखे थे। लेकिन NDPS एक्ट के आने के बाद उनके लाइसैंस को जब्त कर लिए गए हैं । ऐसी स्थिति में वे तस्करी की अफीम खा रहे हैं। दूसरी बात - सरकार ने डोडा पोस्त के ठेके दे रखे हैं । ठेके देने के बाद अगर किसी व्यक्ति के पास 500 ग्राम भी डोडा पोस्त मिल गया, तो उसको दस साल की सजा और एक लाख रुपया जुर्मना, जिसकी कीमत सिर्फ 15-20 रुपए है। ऐसे किसान जो हैबिच्युअल हैं, यदि उनके पास 700 ग्राम भी डोडा पोस्त मिल गया, तो दस साल की सजा और एक लाख रुपया जुर्माना देना होगा ।

ज्यादा पाए जाने पर 20 साल की सजा और दो लाख रुपए जुर्माना होगा। सरकार इसकी नीलामी बंद करे और राज्य सरकारों से इसे अपने अंडर ले ले। दो-तीन करोड़ रुपए के लिए राज्य सरकार इसे नीलाम क्यों करती है? उस पर कोई प्रतिबंध हो या फिर इसे आबकारी अधिनियम में ले जाए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा तीन साल की और कम से कम छ: महीने की सजा हो।

दूसरी बात इसमें कुछ मेंडेट्री प्रोविजन की है। मैंने वकालत की है और मेंडेट्री प्रोविजन की कम्पलायंस कई मामलों में न होने से मुलज़िम बरी हो जाता है। सैक्शन 27 एनडीपीएस एक्ट में मिनिमम क्वांटिटी पांच ग्राम बताई गई है। अगर किसी के पास पांच ग्राम से कम मिले तो उसे तीन साल से कम सजा होगी, लेकिन अगर पांच ग्राम से ज्यादा मिल गई तो उसे दस साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना होगा या 20 साल की सजा और दो लाख रुपए जुर्माना होगा।

महोदय, मैं नशे के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हम जब गांवों में जाते हैं तो गांवों की मीटिंगों में लोग विरोध करते हैं कि इस नशे को छोड़ दो। यह बहुत पुराना प्रचलन है। इस पर हम एकदम प्रतिबंध नहीं लगा सकते। मैं पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से जीत कर आया हूं। वहां इस तरह के हजारों लोग हैं, जो इस नशे के आदि हैं। किसी के पास पांच, छ: या दस ग्राम है तो उसे दस साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना होता है। जिससे दुश्मनी हो जाती है, रंजिश वाले लोग इस तरह के लोगों को गलत फंसा देते हैं और उन्हें सजा करवा देते हैं। मेंडेट्री प्रोविजन की कम्प्लायंस करके उन्हें सजा करवा देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ऐसे मामलों में जरूर विचार करें कि इस तरह के कानून में गरीब लोग या निर्दोा लोगों को सजा न हो। कानून की यह मंशा है कि 99 मुलज़िम बरी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक भी निर्दोा को सजा न हो।

एफएसएल रिपोर्ट के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं जिसके अंतर्गत प्वाइंट पांच ग्राम मोरफिन अफीम मानी जाती है, 99.5 अगर राख है तो भी वह अफीम है, इसलिए इस तरफ भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह का कानून बनाया जाए, जिससे गरीब और निर्दोा लोगों को सजा न हो।

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) :** सभापति महोदय, मैं उन सारे माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने इसमें भाग लिया और अनेक मूल्यवान सुझाव उन्होंने यहां दिए। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि यदि बिल के बाहर जाकर भी उनके सुझाव हमें प्राप्त होंगे तो जहां तक हो सकेगा, नियम बनाते समय हम उनका ध्यान रखेंगे और यदि बहुत आवश्यक हुआ तो आगे जब इस विधेयक में संशोधन होंगे उस समय उन्हें इसमें समाहित करने का प्रयास करेंगे।

महोदय, जैसा मैंने अपने प्रारम्भिक भााण में कहा था कि जो विधेयक अभी आया है, उसका एक लम्बा इतिहास है जो कई प्रक्रियाओं से होते हुए यहां तक पहुंचा है। स्टेंडिंग कमेटी ने इस पर विचार किया, दूसरे सदन में इस पर विचार हुआ और एक तरह से अगर मैं कहूं कि सांसदों के जो मूल्यवान सुझाव आए हैं, उन्हें हमने इसमें इनकार्पोरेट करने का पूरा प्रयास किया है। मुख्य रूप से जो संशोधन आए हैं, दासमुंशी जी और अन्य कई माननीय सदस्यों ने कहा, इसमें काफी व्यापक संशोधन लाए गए हैं और उन्हें हम चार भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहली श्रेणी में उस प्रकार के संशोधन आते हैं, जो नेशनल कंवेशन है, उसके कुछ बिन्दु 1985 में छूट गए थे, उन्हें आज हम इसमें शामिल कर रहे हैं। दूसरा यह है कि रेशनलाइजेशन ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर - इस पर मैं आगे ज्यादा विस्तार से कुछ कहूंगा। उसके बाद प्रक्रिया में कुछ ऐसे सैक्शंस थे, जिनकी वजह से हमें कुछ व्यावहारिक कठिनाईयां उपस्थित हो रही थीं।

उनमें हम सुधार लाकर, संशोधन लाकर उन्हें ठीक करना चाहते हैं। अन्ततः ट्रायल सब्सटैंस के तहत जो हम काम करना चाहते हैं जिससे दोाी लोगों को पकड़ने में आसानी हो सके और उनके बारे में हमें जानकारी मिल सके। इसलिए हम चार प्रकार के संशोधन इसमें ला रहे हैं। इनको देखने से प्रथम दृटया मन में यह बात पैदा हो सकती है, जैसा कि माननीय रघुवंश प्रसाद बाबू ने कहा कि उसमें हम ढिलाई बरत रहे हैं। हम ढिलाई नहीं बरत रहे हैं। हम इसको सही मायने में तर्क-संगत बना रहे हैं। हम उन लोगों के बीच में एक अंतर कर रहे हैं जोकि ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं और उन लोगों के बीच में जोकि इनका व्यापार करते हैं, जो दूसरों को शिकार बनाते हैं। दोनों के बीच में अंतर करना आवश्यक था। इसलिए कानून-विदों की राय बनी कि मात्रा को हमें तीन भागों में बांटना चाहिए। छोटी मात्रा में अगर पाई जाएगी, जोकि इनका सेवन कर रहे हैं। दूसरा, कमर्शियल मात्रा में, जोकि इनका व्यापार कर रहे हैं और दोनों के बीच में एक मात्रा होगी जिसमें कि हम सारी परिस्थितियों को देखकर तय करेंगे कि इसमें क्या सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले हैं जिनमें कहा गया है कि कुछ मामलों में विलम्ब होता है। प्रशासन ने किसी को पकड़ा और उसको जेल में रखा, ट्रायल में विलम्ब हुआ और बहुत मामूली अपराध के लिए उसको 1995 के एक्ट के तहत कम से कम 10 वर्षों की सजा मिली। इसलिए इस अंतर को ध्यान में रखते हुए ये संशोधन लाए गए हैं और अलग से हमने विशेाज्ञों की एक समिति बनाई है जिसका प्रतिवेदन हमारे पास चंद दिनों के अंदर आने वाला है। जिसके आधार पर नियम बनाते समय हम इस बात को अच्छी तरह से परिभाषित करेंगे कि छोटी मात्रा से हमारा उद्देश्य क्या है तथा कमर्शियल मात्रा से हमारा उद्देश्य क्या है। यह जब परिभाषित हो जाएगा तो बीच में जो मात्रा आती है उसको परिभाषित करने में हमें कठिनाई नहीं होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इन संशोधनों के माध्यम से हमने व्यवस्था की है। उसमें यह है कि जो इनके खुद शिकार हैं, अगर वह पकड़े गये तो उनको कम सजा दो, क्योंकि उनके सुधार पर हमें ज्यादा बल देना है। जो कमर्शियल ढंग से काम कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दो - दस वर्षों से बीस वर्षों के बीच में और

कम से कम दस वर्ा। अगर वह हैबिचुअल ऑफैन्डर है तो उसके लिए इस कानून के अन्तर्गत मृत्युदंड तक निर्धारित है। इसलिए यह व्यवस्था की गयी है। जिसमें तीन साल तक सजा लाजमी है उसमें हमने समरी-ट्रायल की व्यवस्था की है ताकि उसमें विलम्ब न हो। जिनको छह महीने, एक साल, दो साल, तीन साल से कम की सजा मिली है और उसका ट्रायल नहीं हो रहा है, उस केस में समरी-ट्रायल की व्यवस्था की गयी है ताकि वह जेल में सड़ता न रहे और उस तरह के केसेज को निपटाया जा सके।

एक बात और मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। एशिया में भारत अकेला ऐसा देश है जिसमें कि कानूनी तौर पर अफीम की खेती होती है। लिसिड-ओपियम-क्लटी वेशन की अनुमति हमें एक देश के नाते मिली हुई है।

इसलिए हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमने अपने इस कार्यक्रम को ऐसे चलाया है जिस के अंतर्गत हमारे देश की जो व्यवस्था है, उसमें अन्तर्राट्रीय विश्वास डिगा नहीं है। फिर मैं कहूंगा कि रघुवंश जी ने जो कुछ कहा, उसके विपरीत हमारे पास इंटरनेशनल नारकॉटिक्स कंट्रोल बोर्ड 1998...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) :** अगर आप इजाजत दें तो मैं पूरे सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं। इसमें दुरुपयोग होने की बहुत बड़ी सम्भावना है। मुझे थोड़ा समय नहीं मिला और इसकी वजह से मैं यहां आ नहीं पाया। मैं इस बारे में बोलना चाहता था। मुझे अभी इन्द्रजीत गुप्ता जी की शोक सभा में जाना है। इस बिल में बहुत भारी कमी है और इस बात का खतरा है कि इसमें दुरुपयोग हो सकता है। वैसे हम दहेज प्रथा के पूरी तरफ खिलाफ है। इसके कारण कई महिलाओं की मौतें हुई। हाई कोर्ट की चर्चा तमाम जगहों में हुई है। उन्होंने कहा कि 75 परसैंट दुरुपयोग हो रहा है। रपटें लिखी जा रही हैं। एक ने कहा 75 परसैंट नहीं, 90 परसैंट दुरुपयोग हो रहा है। आपका कानून पास हो जाएगा। वित्त मंत्री जी, आज जिन वर्तमान परिस्थितियों में पुलिस और नौकरशाही को अधिकार देते जा रहे हैं, मैं इसके बहुत खिलाफ हूं। मैं समय पर यहां नहीं था इसलिए इस पर बोल नहीं सका। आप जो कड़ी सजा देने जा रहे हैं चाहे वह सभापति जी की राय हो या किसी और की हो, लेकिन उन्हें बख्शा जा रहा है। इसमें दुरुपयोग होने की बहुत बड़ी सम्भावना है। मैं यहां पर आपको सावधान करना चाहता हूं और आपको सुझाव देना चाहता हूं। हम जन प्रतिनिधि जिस तरह कानून को पास कर रहे हैं, उसके नतीजे अच्छे नहीं होगे। एक कानून को यहां पास किया। उस समय मैं इस सदन में नहीं था। हमारे अपने गांव में सुआ पालने की सजा है। इसके लिए दो हजार से पांच रुपए तक का जुर्माना है। इसे बच्चे भी पाल लेते हैं। किसी को पता नहीं कि प्रदूाण के नाम पर सजा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि रात के 12 बजे मैंने आपको परेशान किया। अब कहा जा रहा है कि इस पर पुनः विचार हो रहा है और इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है। यह कानून नौकरशाहों के चंगुल में फंसा है। वर्तमान परिस्थितियों में इन बड़े अधिकारियों को इतने बड़े अधिकार देना ठीक नहीं है। लोकतंत्र के अन्तर्गत इसका जबर्दस्त दुरुपयोग हुआ है।

**श्री यशवंत सिन्हाः** मैं उसी बिन्दु पर था। मुलायम सिंह जी ने जो भावना व्यक्त की, उससे अपने को जोड़ते हुए फिर से दोहराना चाहूंगा कि इस कानून के माध्यम से हम अन्तर कर रहे हैं। जो गुनाह उतने गम्भीर नहीं हैं वहां लोग गुनाह के शिकार बना दिए जाते हैं।

**श्री मुलायम सिंह यादव** : गम्भीर क्यों न हों? विस्फोटक चीजें किसी के घर पर रख दें तो मृत्यु दंड हो जाएगा चाहे वह किसी के घर रख दो। यह हालत हो गई है। आप कम से कम यह अधिकार पुलिस को दीजिए, नौकरशाहों को दीजिए। हम आपको यह राय दे रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी। आप पास तो करा ही लेंगे।

**श्री यशवन्त सिन्हाः** सभापति महोदय, मुलायम सिंह जी को समझ लेना चाहिए कि आज के दिन जो कानून है, उस कानून के तहत अगर कोई तनिक मात्र नारकॉटिक्स ड्रग्स के साथ पकड़ा गया तो उसे दस साल से कम की सजा नहीं मिलेगी। हम इसमें जो परिवर्तन ला रहे हैं, उसमें यह व्यवस्था कर रहे हैं कि यदि उसे कम सजा भी मिले तो उसकी परिस्थतियों को देखते हुए मिले। इसी बात की शिकायत माननीय रघुवंश प्रसाद बाबू कर रहे थे कि आप कानून को ढीला कर रहे हैं। कानून को ढीला करने के पर्याप्त कारण थे और यह अन्तर करना आवश्यक था।

सभापति महोदय, भारत की एक विशेा परिस्थिति है। हमारा एक देश है जहां हम कानूनी तौर पर अफीम की खेती करने की इजाजत देते हैं। जैसा पांडेय जी कह रहे थे लेकिन अभी वह चले गए क्योंकि उन्हें किसी आवश्यक काम से जाना था लेकिन यहां कई माननीय सदस्य उन इलाकों से आते हैं,

जहां पर अफीम की खेती होती है। ऐसे कई इलाके हैं जहां 60-70 हजार हैक्टेयर जमीन पर इतने सारे किसान सरकारी लाइसेंस के आधार पर अफीम की खेती करते हैं। यह बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश ने अपने ऊपर ली है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंतरराट्रीय समाज इस बात को बड़े गौर से देख रहा है । मैं इसी संदर्भ में इंटरनैशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की 1998 की रिपोर्ट को उद्धृत करना चाहता हूं:

> "Licit opium, poppy cultivation and opium production take place under Government control in India. There have been no reports of the seizure of Indian opium outside India. "

मैं मानता हूं कि हम सब के लिये यह अत्यंत ही संतोा का विाय है कि हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर खेती होते हुये भी कोई इस प्रकार की घटना नहीं घटी कि हमारे देश का अफीम किसी दूसरे देश में पकड़ा गया हो। इसके अलावा और भी कई..

DR. NITISH SENGUPTA : What about its export?

SHRI YASHWANT SINHA: We export it licitly. We export it legally.

सभापति महोदय, 1998 की इस रिपोर्ट में भारत की इस बात के लिये प्रशंसा की गई है कि हम इसको सही ढंग से चला रहे हैं और इसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं है जिसके कारण किसानों को परेशान किया जाये। इस कानून में संशोधन करना इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे यहां हजारों-लाखों किसान जो अफीम की खेती करते हैं, उनको इसमें किसी प्रकार का कोई कट न हो। इसके साथ ही मेरे पास पिछले सालों के जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार 1998 में 33.1 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर ऐवरेज था जो 1999 में बढ़कर 47.4 किलोग्राम और 2000 में 52.2 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हो गया।

सभापति महोदय, जहां तक किसानों को कीमतें देने का प्रश्न है, हमने अंतराराट्रीय कीमतों को ध्यान में रखते हुये 1998 में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई और 1999 में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है क्योंकि अफीम में जो पदार्थ निकलता है, उसको अंतरराट्रीय बाजार मे बेचते हैं और उनकी कीमतों को ध्यान में रखते हुये हम किसानों को उचित मूल्य देते हैं। हमारा प्रयास है कि आने वाले दिनों में भी यह जारी रहे।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि श्री कृपलानी ने खसखस के बारे में प्रश्न उठाया। जब मैंने दूसरे सदन में इस बारे में बताया तो यहां भी स्पट कर देना चाहूंगा कि Khaskhas is not covered under NDPS Act. मैं पुनः इस बात पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि खसखस इसके अंदर नहीं आती है। इसलिये इसके बारे में कोई भ्रान्ति नहीं होनी चाहिये। जहां तक डोडा चूरे का सवाल है, जो हस्क है, इसे राज्य सरकार अपने नियंत्रण में रखती हैं कि उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाये। अभी डा. पाण्डेय जी कह रहे थे कि लोग घर या मकान बनाने के उपयोग में कर लेते हैं लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यह

राज्य सरकार के नियंत्रण में है। इसी प्रकार मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी की भावना से सहमत हूं कि ड्रग अब्यूज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि भारत में कुछ लोग इसका अखाड़ा बनाना चाहते हैं तो हम लोग जागरूक हैं और हमारा लगातार प्रयास है कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की सभी एजेंसियों में सामंजस्य बनाकर हम ऐसा काम नहीं होने दें। मेरे पास ऐसे आंकड़ें हैं जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से अपनी सीमाओं पर हमने चौकसी बरती है।

किस प्रकार हमने उनके सामान को पकड़ा है और उन्हें दंडित किया है, जो लोग इसमें लिप्त हैं। लेकिन यहां कुछ सवाल उठाये गये थे, जिनका मैं शीघ्रता से उत्तर दूंगा। इसमें जो सैक्शन 29 है, चूंकि श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने एक प्रश्न उठाया कि जो क्राइम में अबेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उन्हें हम छोड़ नहीं रहे हैं। नहीं, हम उसे छोड़ नहीं रहे हैं। सैक्शन 29 में जो अबेटमैंट कर रहे हैं, उसे भी हम पकड़ रहे हैं और उसके लिए सैक्शन् 68ए 2 बी है, जिसके तहत उस प्रकार के व्यक्ति की अगर कोई सम्पत्ति है, उसे भी जब्त करने का प्रावधान है। उसी प्रकार जो विदइन रीजनेबल टाइम की बात डा.लक्ष्मी नारायण पाण्डेय जी ने कही और कमेटी का जो सुझाव 72 घंटे के भीतर करने का है, कमेटी के उस सुझाव को हमने मान लिया है। उसी प्रकार पावर टू सीज में हमने इस बात की चिंता की है कि इंस्पैक्टर या सब-इंस्पैक्टर के नीचे के पदाधिकारी को यह अधिकार न दिया जाए।

सभापति महोदय, पॉपीसीड्स का जो सवाल था, उसे मैंने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो कुछ विशे बिंदु थे, जिनमें विशेाकर किसानों की समस्या थी। मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात के लिए सरकार को साधुवाद दिया है कि हमने यह प्रयास किया है कि पिछले तीन वर्षों में जो किसान अफीम की खेती करते हैं, उन किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखा जाए और उनकी समस्याओं को हल करने का पूरा-पूरा प्रयास किया जाए।

सभापति महोदय, जो अनलाइसेन्स्ड पॉपी कल्टीवेशन की बात दासमुंशी जी ने उठाई, अगर यह देश में कहीं-कहीं हो रहा है तो राज्य सरकारों के साथ मिलकर जो केन्द्रीय एजेन्सी इस पर निगरानी रखती हैं, यह राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार की दोनों एजेन्सियों का सम्मिलित दायित्व है।â€¦( व्यवधान)

DR. NITISH SENGUPTA : Are you getting enough cooperation from the State Governments?

SHRI YASHWANT SINHA: In many a States, we are; and in some States, we are not.

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि अभी बिहार में एक घटना हुई थी, जो यहां दीयारा की बात आई, जो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रकार की खेती हो रही थी, राज्य सरकार के पदाधिकारी वहां गये, उन्होंने उसे उखाड़ा, जलाया तथा नट किया। यह प्रावधान उसमें है।

सभापति महोदय, दासमुंशी जी ने इंडियन शिप्स का एक विाय उठाया था। हम इसमें इंडियन एयरक्राफ्ट इनक्लूड कर रहे हैं और वह इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि उनके ऊपर हमारी सम्प्रभुता है। लेकिन अगर कोई एन.आर.आई. किसी दूसरे देश में अपने शिप को रजिस्टर कराता है, वह दूसरे देश के फ्लैग के तहत अगर शिप ऑपरेट करता है तो उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है और हम अपने नियंत्रण को उस जहाज तक नहीं ले जा सकते। इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय जितने बिंदु उठाये गये थे, मैंने प्रयास किया है कि मैं उन सबका उत्तर दूं। ड्रग एब्यूज अपने आपमें एक अत्यंत ही खतरनाक चीज है और हमारा निश्चित रूप से यह प्रयास होगा कि इस पर नियंत्रण रखें तथा ऐसे लोग जो इसका व्यापार करते हैं उन्हें कड़े से कड़ा दंड मिले। लेकिन जो इसके विक्टिम्स हैं उनके साथ हम थोड़ी रहमदिली दिखायें, ताकि हम उन्हें उस रास्ते से अलग कर सकें और ड्रग से मुक्ति दिला सकें। इन चंद शब्दों के साथ सभापति महोदय मैं आपसे और सदन से आग्रह करूंगा कि इस बिल को पारित किया जाए।

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That the Bill further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

*MR. CHAIRMAN : The House shall nowtake up clause by clause consideration of the Bill.*

*The question is:*

*"That clauses 2 to 41 stand part of the Bill.*

*The motion was adopted.*

*Clauses 2 to 41 were added to the Bill.*

***Clause 1 Short title and***

***commencement***

*Amendment made:*

*Page 1, line 4,--*

*for "2000" substitute "2001" (2)*

*(Shri Yashwant Sinha)*

*MR. CHAIRMAN : The question is:*

*"That clause 1, as amended, stand part of the Bill".*

*The motion was adopted.*

*Clause 1, as amended, was added to the Bill.*

***Enacting Formula***

*Amendment made:*

Page 1, line 1, --

*for* "Fifty-first"

*substitute* "Fifty-second" (1)

(Shri Yashwant Sinha)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill".

*The motion was adopted.*

*The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.*

*The Long Title was added to the Bill.*

*SHRI YASHWANT SINHA: I beg to move:*

*"That the Bill, as amended, be passed".*

*MR. CHAIRMAN: The question is:*

*"That the Bill, as amended, be passed".*

*The motion was adopted.*

_____